कैम्प कार्यालय/प्रभारी प्रशासन/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं. 01, बुलन्दशहर।

<u>प्रशासनिक आदेश</u>

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं. 449/इंफ्रा. सेल. इलाहाबाद दिनांकित 09 अप्रेल 2020 के सापेक्ष में जनपद न्यायालय बुलन्दशहर के समस्त पीठासीन अधिकारियों/तृतीय श्रेणी कर्मचारियों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है यदि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन समाप्त किया जाता है तो वे दिनांक 15.04.2020 को न्यायालय में उपस्थित होंगे तथा कोविड–19 के सम्बन्ध में जो आदेश दिनांक 25.03.2020 को पारित किए गए थे, जैसे मास्क पहनना, हाथों को समय समय पर सेनेटाईज करना, सामाजिक दूरी का पालन बरकरार रखेंगे।

दिनांक 13.04.2020 व 14.04.2020 को न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष, कार्यालय व विभागों का सेनेटाईजिंग का कार्य होना प्रस्तावित है तो सेनेटाईजिंग के समय सम्बन्धित न्यायालयों/कार्यालयों व विभागों के मुंसरिम/रीडर/लिपिकगण उपस्थित रहेंगे तथा अपने रिकॉर्ड की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे।

इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि न्यायालय कक्ष में एक साथ 4 से अधिक अधिवक्ता उपस्थित नहीं होंगे।

केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक न्यायालय/कार्यालय के बाहर सेनेटाईजर रखा जाए।

सिस्टम ऑफिसर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की सूचना जनपद न्यायालय की वेवसाईड पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

10/04/20

दिनांक 10.04.2020

(हरकेश कुमार)
प्रभारी प्रशासन/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं. 01, बुलन्दशहर।